ई–मेल-pmgsygairsain@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, गैरसैण
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

पत्रांक :– 76 / ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A) / 2024 दिनांकः– 16 / 12 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद–चमोली कि विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग के विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्रांक संख्या **1025/FP/UK/ROAD/50196/2020** देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर 2021**(संलग्न)** के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। जिसमें अधिरोपित शर्त संख्या 07 में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से रूपये 49,53,140.00 वन विभाग के पक्ष में **RTGS** के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है बताया गया है, जो कि लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्रांक 24 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 01 / 07 / 2021**(संलग्न)** के अनुसार आपके द्वारा परियोक्ता अभिकरण से क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि रूपये 10,94,161.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि 9,69,075.00 अर्थात कुल धनराशि रूपये 20,63,236.00 मात्र जमा किये जाने हेतु अवगत कराया गया था। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की कुलदेय धनराशि रूपये 20,63,236.00 मात्र **RTGS** के माध्यम से **UTTRANCHAL CAMPA** के **Fund** में दिनांक 15 / 07 / 2021 को जमा की गयी है।**(चालन प्रति संलग्न)**

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।
3. स्थापना फाईल।

इकाई प्रभारी पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

ई–मेल-pmgsygairsain@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, गैरसैण

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

पत्रांक :– 76 / ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A) / 2024 दिनांकः– 16 / 12 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद–चमोली कि विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग के विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्रांक संख्या **1025/FP/UK/ROAD/50196/2020** देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर 2021**(संलग्न)** के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। जिसमें अधिरोपित शर्त संख्या 07 में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से रूपये 49,53,140.00 वन विभाग के पक्ष में **RTGS** के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है बताया गया है, जो कि लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्रांक 24/12–1 गोपेश्वर, दिनांक 01/07/2021**(संलग्न)** के अनुसार आपके द्वारा परियोक्ता अभिकरण से क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि रूपये 10,94,161.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि 9,69,075.00 अर्थात कुल धनराशि रूपये 20,63,236.00 मात्र जमा किये जाने हेतु अवगत कराया गया था। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की कुलदेय धनराशि रूपये 20,63,236.00 मात्र **RTGS** के माध्यम से **UTTRANCHAL CAMPA** के **Fund** में दिनांक 15/07/2021 को जमा की गयी है।**(चालन प्रति संलग्न)**

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।
3. स्थापना फाईल।

इकाई प्रभारी पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/50196/2020 :देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
... 3684
... 124
प्राप्त दिनांक 27-10-21

विषयः– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैंण के अन्तर्गत टैटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/68/2021/एफ0सी0/259 दिनांकः–29.06.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 851/12–1 दिनांक 13.08.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक **वनीकरण** :	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.95 हे0 अवनत वन भूमि लोहबा रेंज के अन्तर्गत कण्डारीखोड, कक्ष सं0–17 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियो को लगाया जाए तथा प्रजातियो की एकल प्लांटेशन से बचे।	(क) इस शर्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त मान्य होने का प्रमाण–पत्र सलग्न किया गया है। **(संलग्नक–1)**
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	**(ख)** इस शर्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक -2)**
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र ओक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एव 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998– एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एव 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.475 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 09,69,075.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–3)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)
5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 trees inciuding 24 saplings से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरेखण में पदों की कटान की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
6	गाइडलाइन्स मे दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इस की कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू 4953140.00 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते मे जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–3 के अनुसार)
8	एफ0आरए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राज्ययी वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।.
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिततिं मे किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (सरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनाक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	
22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालयी / आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1025 / FP/UK/ROAD/50196/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
2. आवासीय अभियन्ता, ब्रिडकुल पीएमजीएसवाई पी0आई0यू0, गैरसैंण, चमोली।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/68/2021/एफ0सी0/1016 दिनांक: 16/11/2021

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद – चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैंण के अन्तर्गत टैटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1025/FP/UK/ROAD/50196/2020 दिनांक 21-10-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.06.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:–

1- The proposal is not received online. State Government may submit the proposal online.
2- State Government may submit the CA scheme of Rs. 10,94,161/- as per which the amount is deposited in the CAMPA.
3- In compliance to condition no. 7, the amount deposited by the User Agency is mentioned as Rs. 49,53,140/- by the nodal office however the amount deposited is Rs. 20,63,236/-. State govt. may submit the clarification in this regard.
4- The compliance to condition no. 3(ख) has not been submitted. State Govt. may submit the undertaking in this regard.

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 5555 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 23-5 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र गैरसैंण के अन्तर्गत टैटुणा से नैणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यातर्वन।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1278 / यू0सी0पी0 / FC/UK/ROAD/50196/2020 दिनांक 24–11–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/ यू0सी0पी0 /06 /68/ 2021/ एफ0सी0 / 1016 दिनांक 16–11–2021 द्वारा चाही गई बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1– सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 27–04–2022 को ऑनलाईन अपलोड की गई है।

2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतु जमा की गई धनराशि रू0 10,94,161.00 के सापेक्ष किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन / योजना संलग्न है।

3– सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या –7 के अनुसार परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू. 10,94,161.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू. 9,69,075.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 20,63,236.00 मात्र आर.टी.जी.एस. के माध्यम UTTARANCHAL CAMPA के खाता स0 6150196481 में जमा की गई है (संलग्नः– चालान की प्रति)।

4– सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्त संख्या 3 (ख) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

सलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

सख्या 5555 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– आवासीय अभियन्ता, ब्रिडकुल पी0एम0जी0एस0वाई0 गैरसैंण को सूचनार्थ प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

AGENCY COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-07-2021

Agency Name.	PIU PMGSY WORK GAIRSAIN
Application No.	6150196481
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	piu gairsain simli near sbi bankChamoli
Amount(in Rs)	2063236/-

Amount in Words :Twenty Lakh Sixty-Three Thousand Two Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896150196481 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-07-2021

Agency Name.	PIU PMGSY WORK GAIRSAIN
Application No.	6150196481
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	piu gairsain simli near sbi bank Chamoli
Amount(in Rs)	2063236/-

Amount in Words :Twenty Lakh Sixty-Three Thousand Two Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896150196481 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone / Fax No-01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 24 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 01-7-21

सेवा में,

महा प्रबन्धक (पी0आई0यू0), पी0एम0जी0एस0वाई0,
ब्रिडकुल गैरसैंण,
चमोली।

विषयः– जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई फेज xvi के अन्तर्गत टैटूणा से नैणी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/68/2021/एफ0 सी0 /259 दिनांक 29–06–2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नाँनुसार जमा की जानी है:–

कसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	दर प्रति है0	कुल धनराशि (रू0 में)
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.95 है0	3,70,902.00	10,94,161.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व .2)	1.475 है0	657000.00	9,69,075.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीध्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।